न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00438

1. महावीर आयु 44 वर्ष आत्मज स्वर्गीय किशना जाति तेली ।
2. प्रहलाद आयु 22 वर्ष आत्मज स्वर्गीय किशना जाति तेली ।
3. सत्यनारायण उर्फ बबलू उर्फ फोरिया आयु 32 वर्ष आत्मज स्वर्गीय किशना जाति तेली ।
4. कैलाश बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्वर्गीय किशना जाति तेली ।
5. श्रीमती मथरा बाई आयु 74 वर्ष पत्नी स्वर्गीय किशना जाति तेली निवासीगण ग्राम नीम का खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम कनवाडा तहसील देवली जिला टोंक ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती हजारी बाई आुय 64 वर्ष पुत्री स्वर्गीय जमनालाल पत्नी सूरजमल जाति तेली निवासी नीम का खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती पारी बाई आयु 62 वर्ष पुत्री स्वर्गीय जमनालाल पत्नी मांगीलाल जाति तेली निवासी ग्राम नीम का खेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।
4. तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नीमका खेडा तहसील नैनवा में कुल 05 किता की करबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम अर्जुनपुरा उर्फ भंवरखोल तहसील नैनवा में खसरा नम्बर नये 538 पुराने 337 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी के खातेदार कृषक गोरीराम पुत्र औंकार जाति तेली थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है । गोरी राम जी के दो पुत्र जमनालाल व किशना थे । प्रतिवादी किशना को गोरीराम जी ने उसकी बाल्यावस्था में ही माधो तेली कनवाडा के गोद रख दिया था । जमना लाल की दो पुत्रियॉ वादीगण हैं । जमनालाल जी की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी दोनों पुत्रियॉ वादीगण हैं । वादीगण की मॉ कल्याण जी के नाते बैठ गई । जमना लाल जी की मृत्यु के बाद चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि का प्रतिवादी किशना के पक्ष में इंतकाल खोला गया जो अवैध है । वादग्रस्त आराजी के इंतकाल राजस्व कर्मचारियों ने अवैध रूप से प्रतिवादी के नाम खोल दिये हैं जबकि उक्त भूमियों के संयुक्त रूप से वादीगण खातेदार कृषक हैं । उक्त भूमियों पर कब्जा भी केवल वादीगण का ही चला आ रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे उक्त भूमियों को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावें और स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करावें ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी माह सितम्बर में हुई जिस पर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 15.09.2015 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया है । तनकीयात पर पक्षकारान की शहादत लिये बिना कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट जमना लाल के वारिस हैं उनका वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वाद वादीगण डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादीगण के द्वारा दावा हक घोषणा का पेश किया गया था । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी हजारी बाई और पानी बाई की उपस्थित दर्ज की गई है और प्रतिवादीगण में से तहसीलदार की उपस्थिति दर्ज की गई है । न तो लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा